आदेश पत्र की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1 | 2 | 3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल।
बन्दोबस्ती सम्पुष्टि वाद सं0–19/06–07
आवेदिका–अमीर चन्द्र रविदास
बनाम
16 आना रैयत, मौजा रामनगर
आदेश

20|9|17 आवेदक अमीर चन्द्र रविदास, पिता स्व0 ईश्वर रविदास , सा0– रामनगर, पो0– जामपुर थाना–बरहरवा, जिला– साहेबगंज के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र से संतुष्ट होकर दिनांक 01.09.2006 को वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, बरहरवा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं मौजा रामनगर के 16 आने रैयतो को विधिवत् नोटिश निर्गत कर आपति आमंत्रित की गई ।

आवेदित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है

| मौजा | ज0 नं0 | दाग नं0 | कुल रकवा |
|---|---|---|---|
| रामनगर | 92 | 259 | 03 कट्ठा |

नोटिस तामिला प्राप्त। मौजा रामनगर के 16 आने रैयतों द्वारा निर्धारित तिथि तक किसी भी प्रकार के आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है।

आवेदक को सुना। आवेदक द्वारा अपने नाम से बन्दोबस्ती एवं लगान निर्धारण करने का अनुरोध किया गया है।

राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक, बरहरवा तथा अंचल अमीन जाँच कराकर अंचल अधिकारी, बरहरवा द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा रामनगर के जमाबंदी नं0–92 , दाग नं0–259, रकवा 00–09–00 (नौ कट्ठा ) जमीन सर्वे खतियान में अनाबादी खाता कहकर दर्ज है। जिसका आंशिक रकवा 03 कट्ठा जमीन बसोबास हेतु आवेदक के दखल कब्जा कर मकान बना कर निवास कर रहे है। आवेदक गरीब, मजदूर एवं भूमिहीन किस्म का व्यक्ति है। आवेदक गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर–बसर करने वाली श्रेणी में आते है तथा उन्हें उक्त मौजा में बसोबास के लिए अपनी जमीन नहीं है।

उन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया है कि आवेदक ने बन्दोबस्ती कराकर सरकार को लगान देना चाहता है। आवेदित जमीन मौजा रामनगर जमाबंदी नं0–92, दाग नं0–259 आंशिक रकवा 03 कट्ठा जमीन का वार्षिक लगान प्रति एकड़ 100/–(एक सौ) रू0 की दर से 03/–रू0 अलावे शेष अंकित किया गया है जो वर्ष 1954–55 से देय होगा। अंचल अधिकारी, बरहरवा द्वारा आवेदक अमीर चन्द्र रविदास पिता स्व0 ईश्वर रविदास, सा0 रामनगर थाना बरहरवा जिला साहेबगंज के नाम से बन्दोबस्ती करने एवं राजस्व हित में लगान निर्धारण करने की अनुशंसा की गयी है।

अतएव अंचल अधिकारी, बरहरवा का अनुशंसा के आलोक में राजस्व की वृद्धि को ध्यान में रखकर तथा मौजा के 16 आना रैयतों की आपति के आभाव में आवेदक अमीर चन्द्र रविदास, पिता स्व0 ईश्वर रविदास , सा0– रामनगर, पो0– जामपुर थाना–बरहरवा, जिला– साहेबगंज के नाम से बन्दोबस्ती की स्वीकृति दी जाती है तथा आवेदित भूमि का लगान 100/–(एक सौ) रू0 प्रति एकड़ की दर से रकवा 03 कट्ठा भूमि का लगान 03/–रू0 अलावे शेष निर्धारित किया जाता है जो वर्ष 1954–55 से देय होगा। उक्त भूमि अस्तान्तरणिय होगी।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बरहरवा को रेन्टरोल के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 20/9/17
अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

(हस्ताक्षर) 20/9/17
अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।

Scanned with CamScanner